

Attached with E-Stamp Certificate No. IN-UP29681314324163T  
Attached with E-Stamp Certificate No. IN-UP29668288717045T

-:हिबैनामा:-

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण :-

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. वार्ड/परगना :
3. मोहल्ला/ग्राम : ग्राम पसौण्डा
4. प्लॉट/खसरा नं० : प्लॉट,  
सम्बन्धित खसरा नंबर-626मि, 621मि,  
622/1मि व 625
5. मापन की इकाई :
6. प्लॉट का क्षेत्रफल : 409.5 वर्गगज अर्थात 342.38 वर्ग मीटर
7. सड़क की स्थिति : मेन रोड से 500 मी. से अधिक की  
दूरी पर स्थित है।
8. उक्त प्लॉट पार्क फेसिंग नहीं है।
9. सरकारी दर : 16,000/-रूपये प्रति वर्गमीटर
10. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है-नहीं है।
11. श्रीमान जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट के पेज नंबर-13 के अनुसार  
स्टाम्प ड्यूटी अदा किया गया है।

चौहद्दी सीमाये:-

- पूरब :- सम्पत्ति (पक्का निर्माण गोदाम) व कब्जे न्याजू पुत्र स्व० श्री कूड़े, लुकमान अली  
पुत्र स्व० श्री फिरोज, हिबैकर्ता रोजू व खाली प्लॉट हिबैकर्ता रोजू
- पश्चिम :- रास्ता 12 फुट चौड़ा बादहू मकान
- उत्तर :- सम्पत्ति नवल किशोर पुत्र अनन्तराम वाली हाल मकान व कब्जा मकसूद व  
यासमीन
- दक्षिण :- प्लॉट व निर्माण हाजी इकबाल, हाजी युसुफ पुत्रगण निजामुद्दीन

रोजू

Sajida



Attached with E-Stamp Certificate No. IN-UP29681314324163T  
Attached with E-Stamp Certificate No. IN-UP29668288717045T

**हिबै कर्ता का विवरण :- (1)**

श्री रोजू पुत्र स्व० श्री कूड़े  
 निवासी-905, नजदीक-ईदगाह, पसौण्डा, साहिबाबाद, गाजियाबाद। (प्रथम पक्ष)  
 (आधार कार्ड नंबर-2304 9310 1377) (पैन नंबर-EZTPR6808H)

**हिबै प्राप्तकर्ता का विवरण :- (1)**

श्रीमती साजिदा पत्नी मौ० नसीम  
 निवासी-416, नजदीक-मर्कज मस्जिद, असारा, बागपत, उत्तर प्रदेश। (द्वितीय पक्ष)  
 (आधार कार्ड नंबर-8281 9984 2979)

**हिबैनामा अंकन :- 0/-रूपये का।** स्टाम्प शुल्क जिलाधिकारी के निर्धारित दर के अनुसार बाबारी मूल्य अंकन-54,80,000/-रूपये पर अदा किया गया।  
 स्टाम्प 5 प्रतिशत व आवास विकास शुल्क 2 प्रतिशत है उत्तर प्रदेश सरकार संस्वागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 अधि सूचना आदेश संख्या स०वि०क०नि० 5-2756/11-2008-500 (1165)/2007 लखनऊ आदेश दिनांक 30.06.2008 के अनुसार रोड्यूल 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड के (1) हस्तान्तरण से सम्बन्धित लिखितों में प्रत्येक आधार पर क्रेता स्त्री होने के कारण स्टाम्प में 1 प्रतिशत को छुट दी गयी है।

**स्टाम्प शुल्क :- 3,74,000/-रूपये का।**

इस हिबैनामे में प्रथम पक्ष हिबैकर्ता एवं द्वितीय पक्ष हिबै प्राप्तकर्ता के समस्त उत्तराधिकारीगण, न्यायिक एवं वैधानिक प्रतिनिधिगण भी सम्मिलित समझे जायेंगे।

र०  
 ३

Sajida



Attached With E-Stamp Certificate No. IN-UP29681314324163T  
Attached With E-Stamp Certificate No. IN-UP29668288717045T

विदित हो कि एककिता खाली आवासीय प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 409.5 वर्गगज अर्थात् 342.38 वर्गमीटर है जो निम्न सीमा सम्बन्धित खसरा नं०-626 मि०, 621मि०, 622/1 मि० व 625 ग्राम पसौन्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है। उक्त प्लॉट के सम्पूर्ण भाग में से रकवई 100 वर्गगज सम्बन्धित खसरा नं०-626 मि० व 625 स्थित ग्राम पसौन्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद को प्रथम पक्ष हिवैकर्ता ने बिक्रय पत्र के द्वारा श्री जाबिर चौधरी पुत्र मौहम्मद युसूफ निवासी-555 ग्राम पसौण्डा, साहिबाबाद, गाजियाबाद व श्री इकबाल अहमद पुत्र स्व० श्री निजामुद्दीन निवासी-ग्राम पसौन्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद से दिनांक-11.11.2021 को क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री पंजीकृत बही नं०-01 जिल्द 1648 के पृष्ठ 381 से 404 में नम्बर 9465 पर दिनांक-11.11.2021 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार तृतीय गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है, के द्वारा मालिक व काबिज है।

रौजू

Sajida



**AJAY RASTOGI**  
 Advocate  
 (No. UP 1296/91)  
 Ch. No. 88A, Tehsil Compound  
 GHAZIABAD

रौजू






Attached With E-Stamp Certificate No. IN-UP29681314324163T

Attached With E-Stamp Certificate No. IN-UP29668288717045T

तथा रकबई 209.5 वर्गगज अर्थात् 175.16 वर्गमीटर जुज खसरा नं०-626 मि०, 621 मि०, 622/1 मि० व 625 स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद को प्रथमपक्ष हिबैकर्ता ने गिफ्ट डीड के द्वारा सहस्वामीगण के छोटे छोटे प्लॉट को आपसी पारिवारिक सहमति से श्री न्याजू पुत्र स्व० श्री कूड़ा, श्री लुकमान अली पुत्र स्व० श्री फिरोज व श्री नासिर हुसैन पुत्र स्व० इजाजू, निवासी-905 नजदीक ईदगाह ग्राम पसौण्डा, साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से दिनांक-06.01.2020 को प्राप्त किया था जिसकी रजिस्ट्री पंजीकृत बही नं०-01 जिल्द 15113 के पृष्ठ 317 से 402 में नम्बर 102 पर दिनांक-06.01.2020 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार तृतीय गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है, के द्वारा मालिक व काबिज है तथा सम्बन्धित खसरा नम्बर 626 मि०, 621मि०, 622/1मि० व 625 स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद में प्रथम पक्ष हिबैकर्ता व सहस्वामीगण के आपसी बंटवारा लगभग 20 वर्ष पहले हो गया था जिसके अनुसार इस सम्पत्ति में 100 वर्गगज भूमि/प्लॉट प्रथम पक्ष को बंटवारे में प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल भूमि प्लॉट रकबई 409.5 वर्गगज अर्थात् 342.38 वर्गमीटर भूमि का प्रथम पक्ष मालिक काबिज एवं सर्वाधिकारी चला आ रहा है जिसे प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को हिबै कर रहा है।

राजू

Sajida



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9496

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझाने मजमुन व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त दान दाता: 1

श्री रोजू पुत्र श्री स्व० कृष्ण

निवासी: 905 नजदीक-मर्कज मस्जिद असारा बागपत उतर प्रदेश।

व्यवसाय: अन्य

दान गृहीता: 1

रोजू



श्रीमती साजिदा, पत्नी श्री मौ० नसीम

निवासी: 416 नजदीक-मर्कज मस्जिद असारा बागपत उतर प्रदेश।

व्यवसाय: अन्य

Sajida



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री मौ० मुस्तकीन, पुत्र श्री मौ० युनुस

निवासी: 416 नजदीक-मर्कज मस्जिद असारा बागपत उतर प्रदेश।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

Mustak



श्री जाहिद हसन, पुत्र श्री कासिम अली

निवासी: एम०बी०-478 गरिमा गार्डन पसौण्डा साहिबाबाद गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

Jahid



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Suresh

सुरेश चन्द्र शर्मा


उप निबंधक: सदर तृतीय

गाजियाबाद

निबंधक लिपिक

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।




टिप्पणी:





SITE PLAN OF PLOT IN KHASRA No. 626 MIN,  
621 MIN, 622/1 MIN, 625, VIII. - PASONDA,  
GHAZIABAD

PLOT AREA :- 409.00 SQ. YDS. 342.38 SQ. MT.



DONOR SIGN.

*RTA*

DONEE SIGN.

*Sajida*

*Sa*  
**RAGHAV & ASSOCIATES**  
SACHIN RAGHAV  
E.E. (Civil)  
8, Lawyers Chamber,  
Gandhi Nagar, Ghaziabad

BASED ON DRG. SUPPLIED BY OWNER :-